HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 9819/2026
CNR: RJHC020559852026 | URN: CRLMB / 18169U / 2026

Trisha @trisha Khan @trisha Rathore @nunhar @kumari Nuni @kumari Nuna @nuri @trishki @shanu @noohar, Aged About 39 Years, D/o Shri Jahangir @ Jahangir Khan, R/o House No. 153, Ekta Nagar Colony, Nana Kheda Bus Stand, Police Station Neelganga, District Ujjain (M.p.), Presently At Hotel Not Known, Surya Nagar, District Alwar (Rajasthan) (Presently Confined In Mahila Bandi Sudhar Grah, Jaipur/womens Prison Reformatory, Jaipur). A Bail Application Represented By Legal Aid Counsel On Behalf Of Trisha @trisha Khan @trisha Rathore @nunhar @kumari Nuni @kumari Nuna @nuri @trishki @shanu @noohar D/o Shri Jahangir @ Jahangir Khan (Petitioner) For Legal Assistance Provided By Rslsa U/s 12 Of The Lsa Act, 1987.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp Alwar (Raj.).

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री संदीप कुमार माहेश्वरी
For Respondent(s) : श्री गौरव गुप्ता, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

07-09-2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक– **16.04.2026** के विरूद्ध यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र

अन्तर्गत धारा **483** बी.एन.एस.एस. उसे पुलिस थाना **शिवाजी पार्क, अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **192/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 319(2), 308(2), 308(6) व 308(7)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रत्याहृत किए जाने के आधार पर दिनांक 18.12.2025 को निरस्त किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.07.2025 से अभिरक्षा में है, अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 साक्षीगण रखे गए हैं जिनमें से विचारण के दौरान 5 गवाहों के बयान हो चुके हैं। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त महिला है, मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा, अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 20.07.2025 से अभिरक्षा में है । अभियोजन साक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुयी है, तत्पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम होने हैं तथा बचाव पक्ष की साक्ष्य होनी है । विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होती रहेगी, तो प्रार्थी/अभियुक्त **त्रिशा उर्फ त्रिशा खान उर्फ त्रिशा राठौर उर्फ नुनहार उर्फ कुमारी नुनी उर्फ कुमारी नुना उर्फ**

नूरी उर्फ त्रिष्की उर्फ शानू उर्फ नूहर पुत्री श्री जहांगीर उर्फ जहांगीर खान को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/05